न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 18 / 2025

श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा निवासी भम्भोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22.04.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. ग्राम युसुफपुरा उर्फ चराई, पटवार हल्का सोरन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बम्बोर, तहसील व जिला टोक में स्थित भूमि खसरा नम्बर 398/79. 406/403, 408/403, 409/402, 410/402, 411/402, 412/407, 413/407, 414/407 का नामान्तकरण आयुक्त, नगर परिषद, टोंक (राज.) के नाम किन दस्तावेजों/आदेश के आधार पर खोला गया, सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि मय समस्त ऑर्डरशीट्स ।
2. ग्राम युसुफपुरा उर्फ चराई, पटवार हल्का सोरन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बम्बोर, तहसील व जिला टोंक में स्थित भूमि खसरा नम्बर 398/79. 406/403, 408/403, 409/402, 410/402, 411/402, 412/407, 413/407, 414/407 के सम्बन्ध में की गयी भूमि परिवर्तन/धारा 90ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यप्रतिलिपि मय समस्त ऑर्डरशीट्स।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 377 दिनांक 05.03.2025, 402 दिंनाक 18.03.2025, 460 दिनांक 27.03.2025 व 532 दिनांक 15.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 3488 दिनांक 17.04.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1 की सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पंत्रांक 1620 दिनांक 03.03.2025 से सूचित किया जा चुका है और बिन्दु संख्या 2 की सूचना राजस्व शाखा तहसीलदार टोंक से संबंधित होने के कारण उनके पत्रांक 1289–90 दिनांक 18.02.2025 से उनको अन्तरित कर दी गई थी का उल्लेख किया है। अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक से संबंधित है ना की राजस्व शाखा तहसीलदार टोंक से। जबकि सूचना का अधिकार

जिला कलेक्टर
टोंक

647

अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट बिन्दु संख्या 2 की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक